न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 93/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नैणराम पुत्र गोपाल आयु 71 वर्ष।
2 मूलचन्द पुत्र रामजीलाल आयु 46 वर्ष।
3 सत्यवीर पुत्र रामजीलाल आयु 41 वर्ष।
4 राजवीर पुत्र रामजीलाल आयु 38 वर्ष।
5 रोहिताश पुत्र रामजीलाल आयु 34 वर्ष।
6 सुभाष पुत्र रामजीलाल आयु 32 वर्ष।
7 श्रीमती कमला पत्नी रामजीलाल आयु 76 वर्ष।
8 मोहर सिंह पुत्र देवकरण आयु 46 वर्ष।
9 हरबाई पत्नी देवकरण आयु 66 वर्ष।
10 रतन सिंह पुत्र चन्द्राराम आयु 56 वर्ष जाति समस्त जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 भागुराम पुत्र गोपाल आयु 76 वर्ष।
2 डूंगर सिंह उर्फ कुलदीप पुत्र कालूराम आयु 46 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

3 बनवारी पुत्र सुरताराम आयु 56 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 रेशमी पत्नी मंगेजा आयु 41 वर्ष।
5 प्रवीण पुत्र मंगेजा आयु 20 वर्ष।
6 नवीन पुत्र मंगेजा आयु 15 वर्ष जरिये माता रेशमी पत्नी मंगेजा।
7 दलीप पुत्र भाना आयु 61 वर्ष।
8 भोला पुत्र मगाराम आयु 56 वर्ष।
9 जगदीश पुत्र मगाराम आयु 51 वर्ष।
10 रामस्वरूप पुत्र मगाराम आयु 46 वर्ष।
11 फुलचन्द पुत्र बूजा आयु 71 वर्ष।
12 सावित्री पत्नी शिवराम।
13 बलवंत पुत्र शिवराम समस्त जाति मेंघवंशी निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
14 जगदीश प्रसाद पुत्र मूला।
15 रामप्रसाद पुत्र मूला समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
16 शिवप्रसाद पुत्र चंदगीराम।
17 सुमन पुत्री चंदगीराम।
18 संतरा पत्नी चंदगीराम।
19 श्योनारायण पुत्र सुरजीया।
20 मूलचन्द पुत्र सुरजीया समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
21 हेतराम पुत्र माडूराम।
22 सेडुराम पुत्र माडूराम।
23 शीशराम पुत्र माडूराम।
24 मानीराम पुत्र माडूराम।
25 मानसिंह पुत्र माडूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

26 रोहताश पुत्र माडूराम समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

27 दयाराम पुत्र गुट्टाराम।

28 सतवीर पुत्र गुट्टाराम।

29 मोहर सिंह पुत्र गुट्टाराम।

30 पप्पु पुत्र गुट्टाराम।

31 रघुवीर पुत्र सुरजा।

32 ख्याली पुत्र सुरजा समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

33 सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुंझुनू शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।

34 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

35 मु0 चिड़िया पत्नी महावीर।

36 हरिश पुत्र महावीर।

37 परमेश्वरी पुत्र महावीर ।

38 मुन्नी देवी पत्नी ओमप्रकाश।

39 पुनम पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

40 रजनीश पुत्र ओमप्रकाश।

41 ममता पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास नाबालिग जरिये वली कुदरती माता मुन्नी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

42 सिणगारी पत्नी हंसराम।

43 जयप्रकाश पुत्र हंसराम।

44 जितेन्द्र पुत्र हंसराम।

45 प्रमोद पुत्री हंसराम।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

46 सुनिता पुत्री हंसराम समस्त जाति जाट निवासीगण चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ.धा. 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला
झुंझुनू दावा नैणाराम वगैरह बनाम भागूराम

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा वाद संख्या 182/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

Lavo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी की भूमि के गत खसरा नम्बर 186,187,188,204,205,323,28,22,203,16,15,311,312,329, 23 के सन्दर्भ में घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1,4,8,9,12 की और से आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया विचारण न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 02.06.2015 को आदेशिका में कायम मुकाम व तलबी हेतु नियत थी आगामी तारीख नियत थी दिनांक 12.06.2015 को विचारण न्यायालय ने बिना सूचना नियत तिथि से पूर्व लोक अदालत में पत्रावली रखकर कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज कर दिया विचारण न्यायालय की यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के सर्वथा विपरित है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि लोक अदालत में गुणावगुण पर निर्णय नही कर रेसजुड़ीकाटा के आधार पर निर्णय पारित किया है। न्यायालय स्वयमेव रेसजुड़ीकाटा पर निर्णय करने हेतु सक्षम है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से विचाराधीन निर्णय प्रथम दृष्टया ही विधिक प्रक्रिया के विपरित होना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 02.06.2015 की आदेशिका में मिसल वास्ते दरख्वाश्त कायम मुकाम व तलबी दिनांक 13.07.2015 को नियत की गई है। इसके पश्चात बिना किसी पक्षकार को एवं अधिवक्ता को नोटिस जारी किये पत्रावली में दिनांक 12.06.2015 की आदेशिका लिखी गई है। जिसमें आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पेश होने, उभयपक्ष को सुनने एंव निर्णय पारित कर वाद खारिज करने का अंकन है। इस दिन यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखी गई है। विचारण न्यायालय में पत्रावली लोक अदालत में रखने का कोई कारण, कोई सूचना पक्षकारान को देना साबित नही होता है आवेदन 7 नियम 11 की नकल वादी को दिया जाना भी अंकित नही है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अपनाकर पुन निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर